कमिश्नर-कलेक्टर के निर्देश हवा में

निराश्रित गौवंश हो रहे हादसे का शिकार, कागजों में अभियान

रीवा, 16 जुलाई. झमाझम बारिश के बीच आवारा गौवंश सुरक्षित स्थान के तलाश में सड़को पर धमाचौकड़ी मचाते देखे जा रहे है. नेशनल हाइवे से लेकर तमाम मार्गो में गौवंश बैठे नजर आते है. कलेक्टर के आदेश का पालन नही हो रहा है न ही निराश्रित गौवंशो को हटाने का अभियान चल रहा है और न ही पशु पालको के खिलाफ जुर्माना और एफआईआर की कार्यवाही हो रही है.

कलेक्टर का आदेश केवल कागजो तक ही सीमित रह गया है. मजे की बात तो यह है कि शहर के अंदर सैकड़ो गौवंश घूमते नजर आ रहे है. वर्षाकाल शुरू होते ही निराश्रित गौवंश एवं अन्य पशु सूखे स्थान की तलाश में सड़कों में आश्रय लेते हैं, सड़कों में गौवंश बड़ी दुर्घटना का कारण बनते हैं इसमें वाहन सवारों को नुकसान पहुंचने के साथ गौवंश को भी क्षति होती है. सड़कों से गौवंश को हटाकर वाहन दुर्घटनाओं को रोकने और गौवंश को सुरक्षित करने के उद्देश्य को पूरा करने कलेक्टर ने निर्देश जारी किये है. लेकिन निर्देशो का पालन मैदानी स्तर पर नही हो रहा है.

कलेक्टर के निर्देश के मुताबिक सड़को से निराश्रित गौवंश को हटाने का अभियान चलाया है. लेकिन निर्देश केवल बैठक और कागज तक ही सीमित है. नेशनल हाइवे सहित सभी मार्गो में गौवंश धमाचौकड़ी मचा रहे है और हादसे का शिकार हो रहे है. सड़को पर गौवंश को छोड़ने वालो के खिलाफ जुर्माने के साथ एफआईआर दर्ज की जानी है पर कही भी कोई कार्यवाही नही हो रही.

नगर और ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे गौवंश

शहर में भी आदेश पर अमल नही

कलेक्टर द्वारा दिये गये आदेश एवं कमिश्नर के निर्देश का पालन ग्रामीण क्षेत्र तो छोडिए शहर में भी नही हो रहा है. नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत निराश्रित गौवंश घूम रहे है. बाजार एवं आवाजाही वाले क्षेत्रो में धमाचौकड़ी मचाते गौवंश दिख जाते है. एक नही बल्कि झुंड में शहर की सड़को पर बैठे रहते है पर आला अफसरो के आदेश का पालन जब उनके नाक के नीचे नही हो रहा तो कैसे माना जाय कि ग्रामीण क्षेत्रो में होता होगा. कलेक्टर-कमिश्नर के सख्त निर्देश के बावजूद शहर में आवारा गौवंश को पकड़ कर गौशाला में लेकर जाने एवं पशु पालको के खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही नही हो रही है.

गुना के 6 पारदी गिरोह गुजरात में गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार ये लोग वारदात से पहले इलाके में कुछ दिन रहकर टोह लेते थे और फिर सुनसान मकानों को निशाना बनाते थे. फिलहाल पुलिस गिरोह के फरार सदस्यों की तलाश कर रही है और इनके विरुद्ध बीएनएस-2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. पारदी गिरोह के अपराध की जड़ें अब राष्ट्रीय स्तर पर गहराई तक फैलती दिख रही हैं.

गुना. मध्यप्रदेश के गुना जिले के पारदी गिरोह के बदमाशों ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस की सटीक कार्रवाई से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया.

अहमदाबाद के सोला हाईकोर्ट व नरोड़ा थाना क्षेत्र में हुई तीन बड़ी चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए गुजरात पुलिस ने इस गिरोह के मुख्य सरगना सहित छह आरोपियों को धरदबोचा है. इनकी गिरफ्तारी रेलवे स्टेशन के पास की गई, जहां ये भागने की फिराक में थे. गिरफ्तार आरोपियों में पवन उर्फ भुवन उर्फ जड़िया पारदी (40), सचिन उर्फ देवराज (20), परषोत्तम उर्फ वीर प्रताप (21), सागर उर्फ कालिया, रामलाल उर्फ बापू और करण पारदी शामिल हैं. ये सभी गुना जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र के खेजरा व कनारी गांव के निवासी हैं.

पूर्व वीसी 35 लाख तो सरकार दे 5 लाख का हर्जाना

महिला के शारीरिक शोषण का मामला

ग्वालियर. देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित खेल शिक्षण संस्थान में कार्यरत एक योग टीचर के साथ शारीरिक शोषण मामले में एलएनआईपीई के पूर्व कुलपति दूरेहा को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 35 लाख रुपये क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है.

जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के ने फैसले में कहा कि संस्थान की ही महिला शिक्षक ने दुरेहा पर मानसिक और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया. लंबी लड़ाई के बाद जांच कमेटी बनी,

जिसने जांच में दुरेहा को दोषी माना. इसके बावजूद एलएनआईपीई ने इस मामले की अनदेखी की. ऐसे व्यक्ति के हाथों में संस्थान का प्रशासनिक जिम्मा देकर रखा, जो किसी भी काम के योग्य नहीं. हाई कोर्ट ने एलएनआईपीई पर एक लाख रुपये की कॉस्ट लगाई है. इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन को पीड़िता को 5 लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है.

महिला प्रशिक्षक का कहना था कि कार्रवाई के लिए वो 2019 से अब तक 50 आवेदन दे चुकी हैं. शोषण के कारण एक महिला शिक्षक ने नौकरी तक छोड़ दीं. दुष्कर्म और छेड़छाड़ का केस भी दर्ज हुआ. एडवोकेट योगेश चतुर्वेदी ने बताया कि एलएन आईपीई में कार्यरत महिला प्रशिक्षक ने सबसे पहले 2019 में तत्कालीन कुलपति की शिकायत की.

महिला शिक्षिका ने पूर्व वीसी पर लगाए थे गंभीर आरोप

उन्होंने बताया कि महिला शिक्षिका ने गंभीर आरोप लगाया कि डॉ. दुरेहा उस पर शारीरिक संबंध बनाने दबाव बना रहे हैं. उसके द्वारा मना करने पर नौकरी से निकालने और करियर चौपट करने की धमकी देते हैं. महिला ने पुलिस में भी शिकायत की, लेकिन जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट की शरण ली. वहां से संरक्षण मिलने के बाद याची हाईकोर्ट मे याचिका दायरे कर शिक्षण संस्थान में सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण प्रदान करने व कानून के अनुसार, क्षतिपूर्ति दिलाने की गुहार लगाई.

चंबल रेत खनन मामला एनजीटी को भेजा

ग्वालियर. चम्बल नदी में अवैध रेत खनन पर दायर जनहित याचिका को ग्वालियर हाईकोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता ने बताया कि खनन से अभी तक 75 जानें जा चुकी है. घड़ियाल अभ्यारण्य इलाके में पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है. हाईस्पीड डम्परों के कारण सड़क दुर्घटनायें बढ़ रही है. न्यायालय ने केन्द्र सरकार को भी पक्षकार बनाया है. ग्वालियर के अधिवक्ता अवधेशसिंह तोमर ने जून 2025 में यह जनहित याचिका दायर की थी. चम्बल नदी में लम्बे समय से अवैध रेत खनन चल रहा है.

तहसीलदारों को न्यायालय और गैर न्यायालय में बांटने का विरोध

ग्वालियर. तहसीलदारों की पदस्थापना को लेकर मोहन कैबिनेट के एक माह पुराने फैसले का प्रदेश के तहसीलदार विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि इस फैसले से लोगों को सुविधा मिलने की बजाय दिक्कत बढ़ेगी. कुछ जिलों में कलेक्टरों ने कैबिनेट के फैसले के आधार पर आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिसे वापस लेने की मांग की जा रही है. ऐसा न करने पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार 21 जुलाई से काम बंद करेंगे. कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार कैडर के अफसरों के बीच न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन कार्य विभाजन का विरोध किया है. संघ ने कहा है कि अफसरों के बीच इस तरह का विभाजन किसी स्टडी, किसी समिति की सिफारिश और पारदर्शी मापदंड को अपनाए बगैर किया जा रहा है. इसका कोई ठोस और तार्किक कारण भी नहीं है. इस तरह के निर्णय से कार्यक्षमता कैसे बढ़ेगी? गैर न्यायालयीन कार्यों के लिए संभागीय मुख्यालयों के जिलों में 14 और अन्य जिलों में 8 तहसीलदार और नायब तहसीलदार चिन्हित करने का काम किस आधार पर किया गया है.

पिछले 24 घंटों में जिले में 0.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

खंडवा। जिले में गत चौबीस घंटों में 0.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया पिछले चौबीस घंटे मे पंधाना तहसील में 3 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है। अन्य किसी तहसील में कोई वर्षा दर्ज नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 16 जुलाई तक 288.6 मि.मी. औसत वर्षा हो चुकी थी। जबकि इस वर्ष अब तक जिले में 229.2 मि.मी. औसत वर्षा हो चुकी है। इस वर्ष अब तक खंडवा तहसील में 242 मिली मीटर हरसूद तहसील में 230 मिली मीटर, पन्धाना तहसील में 162 मिली मीटर, पुनासा तहसील में 204 मिली मीटर तथा खालवा तहसील में 308 मिली मीटर वर्षा अब तक दर्ज की जा चुकी है।

बिना लाइसेंस के उर्वरक परिवहन : एफआईआर दर्ज

नवभारत न्यूज

खंडवा। जिले में कलेक्टर ऋषव गुप्ता के निर्देश पर उर्वरक के अवैध परिवहन व भंडारण के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस थाना खालवा में मंगलवार व बुधवार की मध्य रात्रि में उर्वरक के अवैध परिवहन के मामले में खालवा थाने में एक एफ आई आर दर्ज कराई गई है।

उपसंचालक कृषि नीतेश यादव ने बताया कि बिना अनुज्ञप्ति के अवैध रुप से उर्वरक के परिवहन करते हुए पाए जाने पर विकासखण्ड खालवा के उर्वरक गुण नियत्रंण निरीक्षक गोरेलाल वास्कले द्वारा पुलिस थाना खालवा में एफ आई आर दर्ज कराई गई है।

उल्लेखनीय है कि खालवा के उर्वरक गुण नियत्रंण निरीक्षक गोरेलाल वास्कले द्वारा खालवा बस स्टेण्ड के पास रात्रि लगभग 11:30 बजे वाहन रोक कर जांच की गई तो एक बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MP 12 GA 2194 से यूरिया खाद हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड कंपनी की यूरिया 80 बैग अवैध रुप परिवहन किया जा रहा था। उर्वरक परिवहनकर्ता मनोज पिता गोकुल राठोड़ निवासी सारोला तहसील पंधाना से बिल वाउचर व लाइसेंस मांगे गये तो उसके पास कोई वैध दस्तावेज नही पाये गये। जिस पर मनोज पिता गोकुल राठोड के खिलाफ उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा - 7 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(2) (अ), धारा 7 (3) के तहत "बिना अनुज्ञप्ति पत्र और बिना बिल के अवैध परिवहन करने" के संबंध में प्रकरण दर्ज कराया गया है।

शिवपुरी में परमाणु ऊर्जा संयंत्र

शिवपुरी. ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही शिवपुरी जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी. इसके लिए सर्वे भी पूरा कर लिया गया है.

ये संभवत पहली बार होगा कि राज्य में बिजली उत्पादन के लिए इतने बडे पैमाने पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे. प्रदेश में बिजली की मांग लगातार बढ रही है. ऐसे में अब न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट से बिजली की मांग की पूर्ति की जाएगी. मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन के लिए सरकार विभिन्न स्त्रोतों का उपयोग कर रही है. अब प्रदेश की बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए सोलर के अलावा चार शहरों में न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट

लगाने की तैयारी शुरू हो गई है. शिवपुरी में एनटीपीसी द्वारा ये प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा. इसके लिए जहां एनटीपीसी सक्रिय हो चुकी है वहीं राज्य शासन ने परमाणु परियोजनाओं की स्थापना में सहयोग के लिए समिति का गठन पहले ही कर दिया है. समिति भूमि अधिग्रहण और जमीन खरीदने, जल उपलब्धता व आवंटन के लिए समन्वय का काम देख रही है.

मानव तस्करी : 20 नाबालिग रेस्क्यू

विदिशा, 16 जुलाई. रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरपीएफ और सोशल वेलफेयर सोसाइटी की संयुक्त कार्रवाई में 20 नाबालिग बच्चों को साड़ी फैक्ट्रियों में काम कराने ले जाते समय रेस्क्यू किया गया.

सभी बच्चे बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं और इन्हें मुंबई होते हुए सूरत ले जाया जा रहा था. सोशल वेलफेयर सोसाइटी की दीपा शर्मा ने बताया कि सूचना के आधार पर रातभर स्टेशन पर निगरानी रखी गई. सुबह करीब 5 बजे ट्रेन पहुंचने पर चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका गया और 34 यात्रियों को उतारा गया, जिनमें से 20 बच्चे नाबालिग

निकले. कार्रवाई के दौरान 6 तस्कर पकड़े गए, जबकि कुछ मौके से फरार हो गए. कुछ बच्चों को आगे के स्टेशनों पर रेस्क्यू किए जाने की जानकारी भी सामने आई है. बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा और संप्रेषण गृह में अस्थायी रूप से रखा जाएगा. फिलहाल जीआरपी थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह की टीम पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि मानव तस्करी के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके.

आईजी ने ओंकारेश्वर में व्यवस्थाओं का लिया जायजा

नवभारत न्यूज

ओंकारेश्वर। आगामी सिहस्थ उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ को लेकर तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर शासन और प्रशासनिक स्तर पर लगातार बैठकों का दौर जारी है।

इसी क्रम में मंगलवार को आईजी अनुराग ओंकारेश्वर पहुंचे और जिले के अधिकारियों के साथ मिलकर भौगोलिक परिस्थितियों एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

आईजी अनुराग ने पत्रकारों से चर्चा में कहां कि सिंहस्थ जैसे धार्मिक आयोजन में ओंकारेश्वर की भी अहम भूमिका होगी। ऐसे में अभी से ही यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण कंट्रोल रूम पुलिस विभाग से से जुड़ी व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने घाट क्षेत्र, प्रमुख मार्गों और श्रद्धालुओं की आवाजाही वाले इलाकों का दौरा किया तथा अफसरों से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ के साथ-साथ वर्तमान में चल रहे श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत भी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि घाटों पर श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है ताकि कोई भी दुर्घटना न हो।

अनियंत्रित होकर ऑटो पलटा, मौत

चालक सहित 4 घायल

दमोह. जिले के हिंडोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलाई चौकी, हरसिद्धि माता मंदिर के समीप बुधवार सुबह एक तीन पहिया अनियंत्रित होकर पलट जाने से ऑटो में सवार दंपति सहित 4 से 5 सवार बुरी तरह घायल हो गए.

जिन्हें उपचार के लिए तत्काल दमोह जिला अस्पताल लाया गया. बता दें कि इलाज कराने बांदकपुर जा रहे गोकुल पिता शंकु राज गौड़ उम्र करीब 56 वर्ष निवासी रामपुर को डॉक्टर ने ईसीजी कराकर मृत घोषित कर दिया. वहीं ऑटो रिक्शा में मौजूद गुलाब बाई उम्र करीब 50 वर्ष का इलाज जारी है, चालक सहित दो से तीन और सवार घायलों का उपचार चल रहा है. गोकुल के शव का पंचनामा करने बिलाई चौकी

प्रभारी मलखान सिंह, आरक्षक प्रशांत ने जिला अस्पताल पहुंचकर पोस्टमार्टम कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुर्द किया और मर्ग कायम कर जांच में लिया. वहीं ऑटो रिक्शा को पुलिस ने फिलहाल जप्त किया है और अग्रिम कार्रवाई शुरू करदी है.

भाजपा नेता की गाड़ी में मिली 20 पेटी शराब

जबलपुर. आबकारी वृत्त सिहोरा मझौली अंतर्गत मप्र आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर पौड़ी-मझौली मार्ग पर रात लगभग 11 बजे कार्रवाई की. मझौली भाजपा युवा मोर्चा पश्चिम मंडल के कार्यालय मंत्री प्रशांत राय उस समय विवादों में घिर गए जब उनकी आल्टो के 10 कार (क्रमांक एम पी 20 सीजी 3453) से 20 पेटी (180 बल्क लीटर) देशी शराब बरामद की गई. जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य 5 लाख है. वाहन में बड़ी मात्रा में अवैध मदिरा मिलने पर आबकारी टीम ने कार्यवाही में तत्काल मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क व 34(2)का प्रकरण दर्ज करते हुए प्रशांत राय को हिरासत में लिया है.

नाबालिग से 2 युवकों ने किया दुष्कर्म

घरों में झाड़ू पोछा का करती थी काम

शिवपुरी. शिवपुरी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज एक 15 वर्षीय नाबालिग शिकायत लेकर पहुंची कि कोलारस के रहने वाले दो युवकों ने मुझको किडनेप कर जंगल में ले जाकर बलात्कार किया.

वहीं आरोपी द्वारा बलात्कार कर मुझे वहां अकेला छोड़कर भगा दिया गया तथा मुझे धमकी दी गई कि तूने किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा. जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 22 कस्बा कोलारस थाना की रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग ने बताया कि मैं गरीब परिवार की रहने वाली हूं और मैं अपनी मां के साथ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगवाने जाती हूं जिससे हमारे घर का गुजारा चलता रहता हैं. रात्रि करीब 8.30 बजे में अपने घर का सामान लेने के लिए बाजार जा रही थी. कोलारस के निवासी गुजरी मोहल्ले के पास छोटू कुशवाह पुत्र हरिशंकर कुशवाह निवासी रामकापुरा भाईजी का कुआं कोलारस दत्ते कुशवाह निवासी तालाब पार कोलारस मिले और उन्होंने सीधे मेरे पास आकर मेरे मुंह पर कपड़ा लगाते हुए मेरा अपहरण कर लिया और मोटरसाइकिल पर ले गये. वहीं पीड़िता ने बताया कि रेल की पटरी के पास वेयर हाउस के नजदीक के खेत में ले गये और मेरे साथ छोटू कुशवाह ने जबरदस्ती कीतो उसने चिल्लाया उस पर उन दोनों ने मारपीट कर उसके साथ बलपूर्वक बलात्कार कर उसको बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गये.

सुविधा | मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और सावनी हेरिटेज कंजर्वेशन प्रालि के बीच अनुबंध

अब चित्रकूट में श्रद्धालुओं को मिलेंगी विश्व स्तरीय सुविधाएं

भोपाल, 16 जुलाई. मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और मुंबई की मेसर्स सावनी हेरिटेज कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच बुधवार को एक महत्वपूर्ण अनुबंध हुआ.

इस अनुबंध के माध्यम से जिला सतना में मां मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट में विभिन्न विकास कार्य एवं सौंदर्यीकरण के कार्य होंगे, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेंगे. प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला के मार्गदर्शन और अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड बिदिशा मुखर्जी की अध्यक्षता

में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की योजना शाखा के प्रमुख संयुक्त संचालक प्रशांत सिंह बघेल और मेसर्स सावनी हेरिटेज कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई की ओर से जीतेश कुमार ने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए. इस प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट शिल्पा शर्मा और मेसर्स आईपीई ग्लोबल के सीनियर आर्किटेक्ट निल्विन राफेल ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया.

अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड बिदिशा मुखर्जी ने बताया कि चित्रकूट में कलेक्टर की अध्यक्षता में डीएमसी का गठन किया जा चुका है और भविष्य में एक डीएमओ की स्थापना की जाएगी, जो योजना, प्रचार-प्रसार एवं संचालन के कार्यों का उत्तरदायित्व निभाएगी. इस अनुबंध के माध्यम से चित्रकूट में मंदाकिनी तट पर राघव घाट, भरत घाट एवं विश्राम घाट का उन्नयन, सौन्द्रर्यीकरण एवं सात्विक रसोई, प्रवेश द्वार, साईनेज बोर्ड, टायलेट, सुवेनियर शॉप, वीडियो एलईडी वॉल, टाइमलाइन वॉल, स्कल्पचर गार्डन, नियंत्रण कक्ष, प्रोजेक्शन मैपिंग, साइट डेवलपमेंट आदि कार्य होंगे.

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजनांतर्गत प्रोजेक्ट चित्रकूट में आध्यात्मिक घाट अनुभव की स्वीकृति प्राप्त हुई थी. मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा उक्त प्रोजेक्ट के पीपीपी मोड में क्रियान्वयन एवं 9 वर्षों के संचालन एवं रख-रखाव हेतु निविदाएं जारी की गई थीं. परियोजना के क्रियान्वयन की विशेषता यह है कि निविदा कर्ता को परियोजना के निर्धारित कम्पोनेंटस के अतिरिक्त स्वयं के व्यय पर पर्यटन बोर्ड, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष व कलेक्टर की अनुमति के बाद अन्य विशिष्ट अनुभव विकसित करने की स्वतंत्रता होगी. 9 वर्षों तक संचालन एवं रख-रखाव का उत्तरदायित्व अनुबंधित संस्था के पास होने से कार्यों में गुणवत्ता पूर्ण क्रियान्वयन किया जाएगा.

पार्षद पुत्र का 50 करोड़ की जमीन पर कब्जा

रहवासियों ने कलेक्टर से की शिकायत

ग्वालियर, 16 जुलाई. शहर के वार्ड 19 से भाजपा पार्षद कमलेश बलवीर तोमर के बेटे छोटू तोमर पर नगर निगम की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा और निर्माण का आरोप लगे है.

वार्ड 19 के ही स्थानीय रहवासियों ने इसकी शिकायत ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय में की है. शिकायत में जमीन की अनुमानित कीमत करीब 50 करोड़ रुपये बताई गई है. छोटू तोमर ने पुरानी रेलवे लाइन पटरी रोड पर नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य

कराया, जिससे आसपास के घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए हैं. इससे पहले डीडी नगर में सीवर टैंक पर निर्माण की भी शिकायत सामने आ चुकी है. नगर निगम उपायुक्त अतिबल सिंह यादव ने भी शिकायत की पुष्टि करते हुए कहा कि छोटू तोमर के खिलाफ पहले से कई शिकायतें और आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं.

कलेक्टर के पास दो वर्षों से लंबित शिकायत

उन्होंने बताया कि बीते डेढ़-दो वर्षों में कलेक्टर कार्यालय और निगम को पार्षद पुत्र के खिलाफ लगातार शिकायतें मिलती रही हैं. यादव ने छोटू को भू-माफिया बताते हुए कहा कि कलेक्टर कार्यालय द्वारा दो बीघा सरकारी भूमि को खाली कराने के निर्देश भी दिए गए हैं. रहवासियों द्वारा दिए गए दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू हो चुकी है और नगर निगम ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं.